राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः– मुख्या/कार्मिक/प्रशा.सु./2020/ 115 दिनांकः 19/05/2020

आदेश

कोविड–19 (Covid–19) महामारी के मध्यनजर गृह(ग्रुप–9) विभाग के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 दिनांक 18.05.2020 द्वारा दिनांक 18.05.2020 से 31.05.2020 तक की अवधि के लॉकडाउन 4.0 कियान्वयन हेतु गाईडलाइन जारी की गई है ।

राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाईडलाईन्स के कम में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. (अ) राज्य सरकार द्वारा घोषित किये गये जोनों के अनुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ईकाईयों का वर्गीकरण निम्नानुसार हैः–

रेड जोनः–

मुख्यालय–जयपुर, अजमेर, अजयमेरु, सी.बी.एस. अजमेर आगार, ब्यावर, भीलवाडा, डीडवाना, नागौर, बीकानेर, सरदारशहर, जयपुर, वैशालीनगर, विद्याधरनगर, डीलक्स, सी.बी. एस. जयपुर, आबूरोड, बाडमेर, फालना, जोधपुर, जालौर, फलौदी, पाली, सिरोही, कोटा, सीकर, श्रीमाधोपुर, डूँगरपुर, राजसमन्द, उदयपुर, केन्द्रीय कार्यशाला, अजमेर, केन्द्रीय कार्यशाला, जोधपुर, केन्द्रीय कार्यशाला, जयपुर, टायर प्लान्ट, जयपुर, केन्द्रीय भण्डार, जयपुर ।

ओरेन्ज जोन

हिण्डौन, भरतपुर, लोहागढ, अलवर, मत्स्यनगर, धौलपुर, हनुमानगढ, दौसा, कोटपूतली, शाहपुरा यूनिट, जैसलमेर, बारां, सवाईमाधोपुर, टौंक, चुरु, खेतडी, बांसवाडा एवं चित्तौडगढ

ग्रीन जोनः–

करौली, तिजारा, अनूपगढ, श्रीगंगानगर, बूँदी, झालावाड, झुन्झूनू एवं प्रतापगढ ।

(ब) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं:–

(1) **रेड जोनः–**

सभी अधिकारियों की नियमित उपस्थिति के साथ तथा कुल कर्मचारियों का 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ एवं शेष स्टाफ वर्क फ्रोम होम के आधार पर ।

(2) **ओरेन्ज जोन**

सभी अधिकारियों की नियमित उपस्थिति के साथ तथा कुल कर्मचारियों का दो तिहाई स्टाफ के साथ एवं शेष वर्क फ्रोम होम के आधार पर ।

(3) **ग्रीन जोनः–**

समस्त अधिकारी/कर्मचारी नियमित रुप से उपस्थित होकर कार्य करेगें ।

2. उपरोक्त रेड जोन एवं ओरेन्ज जोन में आने वाली ईकाईयों में अंकित निर्देशानुसार कर्मचारी बारी–बारी (Rotationwise) से कार्यालय में उपस्थित होंगे। उक्त सीमा में बारी–बारी (Rotationwise) से कार्यालय में उपस्थित होने के लिये कर्मचारियों के नाम सहित आदेश संबंधित विभाग/आगार/ईकाई द्वारा अपने स्तर पर जारी किए जाकर मुख्यालय, को भी अवगत करवाया जायेगा ।

Scanned by CamScanner

3. जिन कर्मचारियो को रोटेशन के आधार पर जिस दिन कार्यालय में उपस्थित नही होना है उस दिन उनकी स्थिति घर से कार्य (Work From home) करने की होगी तथा वे दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे एंव किसी भी समय वे कर्तव्य पर बुलाये जा सकेंगे ।

4. मुख्यालय/आगारों/ईकाइयो में पदस्थापित अधिकारी एवं कर्मचारी जो कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में अथवा कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र मे रहते है, इसे संबंधित विभाग/आगार/ईकाई गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश दिनांक 18.05.2020 के आदेशानुसार सुनिश्चित करेंगे ।

5. कार्य स्थल पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा । चेहरे पर मास्क नहीं पहनना जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

6. कार्यस्थल पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

7. सभी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कार्यालयों में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट–दो गज की दूरी) की पालना की जायेगी । इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माने से दण्डनीय है ।

8. कार्यस्थल पर शराब, पान गुटका तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबन्धित है ।

9. कार्य स्थलों के प्रभारी द्वारा कार्मिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने पर तथा कार्मिकों के लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा ।

10.सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्क्रनिंग, हैण्ड वॉश और सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेंगे । कार्य स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में हैण्डवॉश और सेनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी ।

11..कार्य स्थलों में शिफ्टों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार–बार सेनेटईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

12. सभी नियन्त्रक अधिकारी अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं के सुरक्षा के लिए उनके मोबाईल फोन पर **आरोग्य सेतु एप** को इन्स्टाल करने एवं उपयोग करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेगें ।

13. श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग प.33(2)गृह–9/2019 जयपुर दिनांक 18.05.2020 की पालना सुनिश्चित की जायेगी । सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है ।

(एम.पी.मीना)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

क्रमांकः– :– मुख्या/कार्मिक/प्रशा.सु./2020/115 दिनांकः 19/05/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष, रापनि, मु. जयपुर
3. समस्त महा प्रबन्धक ( ),रापनि,.........................
4. उप महा प्रबन्धक ( ), रापनि,मुख्यालय,जयपुर ।
5. सचिव निगम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर ।
6. समस्त कार्यकारी प्रबन्धक ( ),रापनि,.........................
7. प्रभारी केन्द्रीय कंट्रोल रूम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर ।
8. समस्त जोनल मेनेजर, राजस्थान परिवहन निगम,...............................
9. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक,राजस्थान परिवहन निगम, केन्द्रीय कार्यशाला,....................
10. समस्त मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (प्रशासन/संचालन/वित्त/यातायात) रापनि राजस्थान
11. आदेश पत्रावली ।

(ममता यादव)
उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)

Scanned by CamScanner